डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / IGRS / 2024 / 2183 दिनांकः 18 मई 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान,

विषयः कॉशनमनी वापस किये जाने एवं अध्ययनरत छात्रों से अतिरिक्त शुल्क न लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2024 / 1781 दिनांक 06.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय संस्थान प्रवेश शुल्क एवं नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त शुल्क ले रहें है। इस प्रकार की शिकायतें मा0 मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आई0जी0आर0एस0) एवं विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही है, इसके अतिरिक्त अध्ययन पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी छात्रों से ली जाने वाली जमानत / काशनमनी धनराशि वापस नहीं किए जाने की भी शिकायत प्राप्त हो रहीं है, यह स्थिति उचित नहीं है, यदि काशनमनी वापसी की शिकायत तथा प्रवेश एवं शुल्क नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने संबंधी राजभवन / शासन / विश्वविद्यालय को शिकायतें प्राप्त होती है तो संबंधित संस्थान के विरूद्ध प्रवेश एवं शुल्क नियमन रेगुलेशन तथा विश्वविद्यालय विनियमावली में दी गयी व्यवस्था अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर उक्त के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्रों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करें, और यदि संस्थान में किसी भी छात्र की उपरोक्त विषयक समस्या लम्बित हो तो उसे तत्काल प्रभाव से गुणवत्तापरक समाधान कर निस्तारित करें तथा निस्तारण आख्या से विश्वविद्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 553939 / 2024–16–1099 / 85 / 2023 दिनांक 03.मई, 2024 के क्रम में प्रेषित।
2. स्टॉफ आफीसर, मा0 कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2024 / 1781 दिनांकः 06 अप्रैल, 2024

आवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा छात्रों से प्रवेश के समय ली जाने वाले जमानत / काशनमनी की धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, लखनऊ के पत्रांक 5302--03 / प्र0फी0नि0स0 / काशमनी / 2024 दिनांक 28 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि कतिपय निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों द्वारा प्रायः ज़मानत / काशनमनी की धनराशि छात्रों से मनमाने दरों से वसूल की जाती है व उसे समय से वापस नहीं किया जाता है के दृष्टिगत शासन के कार्यालय आदेश संख्या 204740 / 16–1099 / 1124 / 2019 दिनांक 25 अगस्त, 2022 के माध्यम से निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा छात्रों से प्रवेश के समय ली जाने वाली जमानत / काशनमनी की धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये गयें।

1. एकरूपता की दृष्टि से निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं द्वारा अधिकतम रू0 5,000 एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं द्वारा अधिकतम रू० 3,000 प्रति छात्र लिया जायेगा।
2. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरान्त छात्रों द्वारा संस्थान से नो ड्यूज प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की तिथि के पश्चात छात्रों को जमानत / काशनमनी की धनराशि दो माह के अन्दर वापस किया जाना अनिवार्य होगा। यदि संस्थान द्वारा छात्र को नो ड्यूज प्रमाण–पत्र निर्गत करने की तिथि के पश्चात निर्धारित समयावधि (दो माह) तक जमानत / काशनमनी की धनराशि वापस नहीं की जाती है तो संस्थान के विरुद्ध निम्नलिखित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगीः–
   - i. यदि छात्रों पर किसी प्रकार की देनदारी / देयक यथा–पुस्तकालय की पुस्तक / प्रयोगशाला में किसी प्रकार की टूट–फूट इत्यादि होती है तो उस देनदारी को काशनमनी की धनराशि से समायोजित कर शेष धनराशि छात्रों को दो माह के अन्दर वापस करना अनिवार्य होगा।
   - ii. यदि संस्थान द्वारा निर्धारित समयावधि दो माह के पश्चात चार माह के अन्दर जमानत / काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत / काशनमनी की धनराशि का दो गुना छात्रों को वापस करना होगा।
   - iii. यदि संस्थान द्वारा चार माह के पश्चात एवं छः माह के अन्दर जमानत / काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत / काशनमनी की धनराशि का तीन गुना छात्रों को वापस करना होगा।
   - iv. यदि संस्थान द्वारा छः माह के पश्चात जमानत / काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत / काशनमनी की धनराशि का चार गुना छात्रों को वापस करना होगा।

v. यदि संस्थान द्वारा उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं में दर्शाये गये नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संस्थान के विरूद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3.. समस्त निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं को जमानत/काशनमनी की धनराशि छात्रों को वापस किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र यू0 राईज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अतः उक्त शासनादेश के अनुपालनार्थ निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं से वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में जमानत/काशनमनी की धनराशि को वापस किये जाने एवं प्रमाण-पत्र यू0 राईज पोर्टल पर अपलोड किये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर समिति की ई0मेल आई0डी0 afrcup1155@gmail.com पर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जमानत/काशनमनी की धनराशि छात्रों को वापस किये जाने सम्बन्धित सूचना का प्रारूप

क्र.सं.	संस्था का नाम एवं कोड	शैक्षिक वर्ष	उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या	उत्तीर्ण छात्रों से जमानत/काशनमनी के रूप में प्राप्त कुल धनराशि	जमानत/काशनमनी की धनराशि को वापस किये जाने वाले कुल छात्रों की संख्या	जमानत/काशनमनी के रूप में वापस की गयी कुल धनराशि	जमानत/काशनमनी की धनराशि छात्रों को वापस किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र यू0राईज पोर्टल पर अपलोड की स्थिति (हाँ/नहीं)
		2021-22					
		2022-23					

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश के अनुपालनार्थ निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं से वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में जमानत/काशनमनी की धनराशि को वापस किये जाने एवं प्रमाण-पत्र यू0 राईज पोर्टल पर अपलोड किये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर समिति की ई0मेल आई0डी0 afrcup1155@gmail.com पर सूचित करते हुए विश्वविद्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अन्नावि दिनेशकुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
2. उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. स्टाफ आफीसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(अन्नावि दिनेशकुमार)
कुलसचिव